

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2018/जी-8

जयपुर, दिनांक : 26.11.2018

आदेश


माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 24426/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.11.2018 की पालना में मा. उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. गजेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान संयुक्त निदेशक, जोन अजमेर के पद पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करते हुए डा. वन्दना चौधरी, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संयुक्त निदेशक, जोन अजमेर के पद से उप निदेशक, जोन अजमेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 24426/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.11.2018 को शीघ्र वैकेट कराये जाने की कार्यवाही करावे।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर
5. संबंधित अधिकारी
6. कम्प्यूटर सेल
7. निजी /रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./जी-309/417पार्ट/2018/8

दिनांक : 9.1.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि मा० राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सि.रिट पि. संख्या 24426/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.11.2018 को शीघ्र वैकेट कराये जाने की कार्यवाही करें।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
3. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी (राजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
4. डॉ. गजेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रमुख मुख्य चिकि० अधि०, संयुक्त निदेशक, जोन-अजमेर।
5. डॉ. वन्दना चौधरी, प्रमुख मुख्य चिकि० अधि०, उप निदेशक, जोन-अजमेर।
6. संबंधित लिपिक एस से जेड सीट, निदेशालय, मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।